न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 54/2023(GCMS 2023/248)

गुरतेज सिंह पुत्र श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी गांव हाकमाबाद तहसील व पंचायत समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) मोबाईल नम्बर 9660266487 बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला रसद कार्यालय, कलक्ट्रेट परिसर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरतेज सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.09.2023 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे जानबूझकर वांछित सूचना न देकर अन्य सूचना उपलब्ध करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने एवं वांछित सूचना उसे शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गुरतेज सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थीः

> जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर बी.पी.एल. व अन्तोदय राशन कार्ड अपात्र पाये जाने से काटे गए (सूओ मोटो दल द्वारा) राशन कार्ड की रिकवरी किये जाने विभागीय मार्गदर्शिका (Circular) की आवश्यकता है ताकि मार्गदर्शिका के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाकर जांच करवायी जाकर अपात्रों से रिकवरी कर सरकारी खजाने में जमा हो सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.12.08 17:48:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद/आरटीआई/2049 दिनांक 10.10.2023 से अपीलार्थी को जवाब के साथ निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निम्न सूचना चाही गई है :
>
> > बी.पी.एल. व अन्तोदय राशन कार्ड अपात्र पाये जाने से काटे गए (सूओ मोटो दल द्वारा) राशन कार्ड की रिकवरी किये जाने विभागीय मार्गदर्शिका (Circular) की आवश्यकता है ताकि मार्गदर्शिका के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाकर जांच करवायी जाकर आरोपियों से रिकवरी कर सरकारी खजाने में जमा हो सके।
>
> उक्त के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्रता सूची में दर्ज परिवारों में सम्मिलित सरकारी कर्मचारियों से वसूली के संबंध में निर्देश प्राप्त है। राशनकार्ड की रिकवरी किये जाने विभागीय मार्गदर्शिका (सरक्यूलर) पत्र के संलग्न प्रेषित है।
>
> इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।
>
> **संलग्न : उपरोक्तानुसार।**
>
> -sd-
> जिला रसद अधिकारी
> श्रीगंगानगर

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर [illegible] उक्त पत्रांक 2049 दिनांक 10.10.2023 से उक्तानुसार जवाब [illegible] के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्रता सूची में दर्ज परिवारों [illegible] सम्मिलित सरकारी कर्मचारियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:48:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

से वसूली के संबंध में प्राप्त निर्देशों की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई है जबकि अपीलार्थी द्वारा बी.पी.एल. व अन्तोदय राशन कार्ड अपात्र पाये जाने से काटे गए राशन कार्ड की रिकवरी किये जाने विभागीय मार्गदर्शिका चाही थी। इससे स्पष्ट है कि **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना बी.पी.एल. व अन्तोदय राशन कार्ड अपात्र पाये जाने से काटे गए राशन कार्ड की रिकवरी किये जाने विभागीय मार्गदर्शिका उपलब्ध न करवाकर, सरकारी कर्मचारियों से वसूली के संबंध में प्राप्त निर्देशों की प्रति उपलब्ध करवाई है, जो अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना नहीं है।** इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार 07 दिवस में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:48:38 IST
Reason: SelfAttested